न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 08/2017

1– ज्ञानाराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी अमृतवासी तहसील श्रीडूंगरगढ़
2– हुणताराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी अमृतवासी तहसील श्रीडूंगरगढ़

अपीलान्टान्

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– अपीलान्ट की ओर से – श्री सुरजाराम गोदारा अधिवक्ता
2– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 29.04.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस् ने तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक **22.06.2015** से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा आदेश खिलाफ कानून, प्राकृतिक न्याय एवं रूहेदाद मिसल के असूलों के होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.06.2015 निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि प्रार्थी का पट्टा बना हुआ है। इसके चिपते सरकारी भूमि है। सीमांकन का विवाद है। गौचर का सीमांकन किया जाकर कार्यवाही करनी चाहिऐ। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.06.2015 को अपीलान्ट्स की अनुपस्थिति में बिना जांच किये बिना वस्तुस्थिति देखे अपीलान्टान को अतिक्रमी मानकर बेदखली का आदेश पारित किया है। भू.निरीक्षक ने फर्द मौका की रिपोर्ट भी तैयार नहीं की न ही भू. निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण की भूमि को गांव के सरपंच एवं अन्य मौजूद व्यक्तियों के सामने नहीं नापा गया अपने घर बैठकर विपक्ष के लोगों के साथ मिल कर झूठा माप पी–14 में लिख कर पेश किया तथा भू.निरीक्षक द्वारा सीमाज्ञान के लिए पैमाना किस जगह से लिया गया है तथा न ही फर्द मौका रिपोर्ट बनाई गई है। अपीलान्ट्स को खसरा नम्बर 29 का अतिक्रमी माना गया है जबकि खसरा नम्बर 29 के चिपता खसरा नम्बर 26 आबादी भूमि का खसरा है इन

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

दोनों खसरों का पटवारी हल्का एवं भू. निरीक्षक द्वारा कोई नाप तोल नहीं किया गया है। अपीलान्ट्स का पट्टा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में बना हुआ है इस पट्टा की जांच के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू.निरीक्षक को दिया गया था परन्तु भू. निरीक्षक ने बिना जांच किये ही रिपोर्ट में यह अंकित करते हुवे लिखा कि पट्टा ग्राम पंचायत का होने के कारण अधिकार ग्राम पंचायत को है ऐसी सूरत में खसरा नम्बर 29 का अतिक्रमी अपीलान्ट्स को कैसे घोषित किया जा सकता है। भू.निरीक्षक व पटवारी को खसरा नम्बर 29 व खसरा नम्बर 26 जो आबादी भूमि है, को नाप तोल करने के पश्चात ही अतिक्रमी होने पर ही अतिक्रमी घोषित कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलान्ट्स की साक्ष्य ली गई तथा न ही पटवारी एवं भू.निरीक्षक की साक्ष्य ली गई और ना ही अपीलान्ट्स के बयान लिये गये है सिर्फ पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट्स को कतई अतिक्रमी नहीं माना जा सकता है। अपीलान्ट्स बार–बार न्यायालय में आकर अपनी कार्यवाही के बारे में पूछताछ करता रहा परन्तु न्यायालय द्वारा न तो अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी बताई तथा न ही कार्यवाही बाबत बताया। अपीलान्ट्स को दिनांक 5.2.17 को पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमी की कार्यवाही की पालना करने हेतु मोबाईल से इतला दी तब अपीलान्ट्स को पता चला। अपीलान्ट्स दिनांक 6.2.17 को न्यायालय में आया तथा उसी दिन आदेश की नकल का प्रार्थना पत्र दिया जो उसी दिन नकल लेकर वकील का मेहनताना की व्यवस्था कर दिनांक 14.2.17 को बीकानेर आकर वकील कर बिना कोई देरी किये अपील पेश की। अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है जानबूझकर देरी नहीं की बल्कि जानकारी के अभाव में देरी हुई है जो माफ किये जाने योग्य है। अतः अपील अन्दर मियाद स्वीकार फरमाई जावे एवं अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून, प्राकृतिक न्याय एवं रूहेदाद मिसल के असूलों के होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक **22.06.2015** निरस्त फरमाया जावे।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का बिग्गा बास रामसरा द्वारा धारा 91 के तहत इस आश्य की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलान्ट्स ने ग्राम अमृतवासी की आराजी खसरा नम्बर **29 तादादी 18.32 हैक्टेयर गैर मुमकीन गौचर में से 0.45 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा कर बाड़ा बनाकर** अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है। इस पर गैर सायल को नोटिस भेजा गया। प्रार्थीगणों को समुचित सुनवाई अवसर प्रदान किया गया तथा प्रार्थीगण का जवाब है कि उसकी ग्राम अमृतवासी की आबादी में एक पुश्तैनी संयुक्त स्वामित्व की आबादी गुवाडी है तथा एक पट्टा भूमि पट्टा संख्या 20 तादादी 4204.5 दरगज का ग्राम पंचायत इन्दपालसर सांखलान द्वारा दिनांक 10.11.1974 का हुणताराम के नाम से जारी है। इसके अलावा प्रार्थीगण का कोई बाडा नहीं है। अतः प्रार्थीगण के खिलाफ

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

गलत प्रकरण को खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण द्वारा संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर 50 गुणा तावान की शास्ति से आरोपित किया गया व भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिया गया है। अपीलार्थियों द्वारा सरकारी जमीन को हडपने व निजी लाभ प्राप्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है। अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट भूमिधारी होने के कारण सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने व सरकारी भूमि की हिफाजत, साज–सम्भाल रखने का दायित्वाधिकारी है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगणों का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को हटवाने के आदेश दिये है, जो न्याय संगत है। अपीलार्थी गैर मुमकीन गौचर भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुवे विलम्ब के संबंध में नरम रूख अपनाते हुवे विलम्ब को क्षम्य् किया जाना उचित समझते हुवे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुवे विलम्ब को क्षम्य् किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का ने गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुवे रिपोर्ट पेश की है। अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकीन गौचर में अतिक्रमण अस्वीकार किया है तथा पट्टे शुदा भूमि पर अपना कब्जा होना बताया है। अपने कथन के समर्थन में ग्राम पंचायत के पट्टे की नकल प्रस्तुत की है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा गैर मुमकीन गौचर भूमि में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है तथा प्रस्तुत पट्टे के आधार पर गैर मुमकीन गौचर भूमि पर किये गये अतिक्रमण को वैध स्थापित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं इसके संलग्न पी–14 की नकल में अतिक्रमित भूमि के खसरा नम्बर 29 गैर मुमकीन गोचर में 0.45 हैक्टयर भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित होता है। अतः अपीलान्ट अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत् होने के कारण हमें इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लिहाजा उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है ।

6. निर्णय आज दिनांक 29.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अति.जिला कलक्टर,(प्रशा.)
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner